¹[Section 158A : Concent based sharing of information furnished by taxable person

- (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of subsection (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:-
 - (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
 - **(b)** the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;
 - (c) such other details as may be prescribed.
- (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of
 - (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of subsection (1); and
 - **(b)** the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of subsection (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.]

www.cggst.com

¹ Section 158A inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

¹[धारा 158क : कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना

- (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :-
 - (क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाईल की गई विवरणी में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे;
 - (ख) बीजक के सृजन के लिये सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिये सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां ;
 - (ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जाये।
- (2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिये,-
 - (क) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति; और
 - (ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमित केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जायेगी, जो विहित की जाये।
- (3) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्धूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।]

¹ वित्त अधिनियम, २०२३ द्वारा धारा १५८क अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।